

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 148/2019 (Bank Case)

शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05, प्रथम तल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा-324005, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

- प्रार्थी

## बनाम

1. श्री योगेश कुमार (ऋणी / बंधककर्ता)  
पता-1. वार्ड नं० 13, बॉस कॉलोनी, सुल्तानपुर, कोटा, राजस्थान-325204
2. ग्राम-सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर, पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला- कोटा, राजस्थान-325204
2. श्रीमती उर्मिला बाई पत्नी श्री नन्दकिशोर (ऋणी / बंधककर्ता)  
पता-1. वार्ड नं० 13, बॉस कॉलोनी, सुल्तानपुर, कोटा, राजस्थान-325204
2. ग्राम-सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर, पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला- कोटा, राजस्थान-325204

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफॉसमेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ड्रेस्ट एक्ट, 2002

उपस्थित-

श्री अविनाश ठाकुर, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि शुभम हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड शाखा- 04 व 05, प्रथम तल, अन्नपूर्णा डिपार्टमेन्टल स्टोर के उपर, डॉ. शीला चौधरी रोड, तलवण्डी, कोटा-324005, राजस्थान में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.10.2014 को रुपये 4,00,000/- (अक्षरे: रुपये चार लाख मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला बाई पत्नी श्री नन्दकिशोर की पट्टा नं० 90, ग्राम-सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर, पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील-दीगोद, जिला कोटा, राजस्थान स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1247 वर्ग मीटर) को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 15.01.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खातों मे 3,91,883 /- (अक्षरे तीन लाख इक्कानवें हजार आठ सौ तीरयासी मात्र) बकाया रकम दिनांक


जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज.)

18.01.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.01.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 18.01.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.01.2018 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मॉग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्रीमती उर्मिला बाई पत्नी श्री नन्दकिशोर की पट्टा नं० 90, ग्राम-सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत- सुल्तानपुर, पंचायत समिति सुल्तानपुर, तहसील-दीगोद, जिला कोटा, राजस्थान स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 1247 वर्ग मीटर) का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।

  
(ओम कसेरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

